

6 - अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
1	निदेशालय कोषागार, उत्तर प्रदेश	सहायक कोषागार लेखाकार	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश कोषागार लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक कोषागार लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अवश्य होनी चाहिए।</p> <p><u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश कोषागार लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>
2	सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	लेखा परीक्षक	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां और पंचायत) लेखा-परीक्षा सेवा नियमावली, 2025 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में लेखा परीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी आवश्यक है।</p> <p><u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां और पंचायत) लेखा-परीक्षा सेवा नियमावली, 2025 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या</p>
3	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	अमीन/नीलामकर्ता	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार सेवा में अमीन/नीलामकर्ता के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी आवश्यक है।</p> <p><u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो कृषि विपणन कार्य का अनुभव रखता हो।</p>
4	नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश	अधिशाली अधिकारी	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उ०प्र० पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 यथासंशोधित में विहित प्राविधानानुसार सेवा में अधिशाली अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को स्नातक उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है।</p> <p>परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जायेगा जब सम्बन्धित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में "ओ" स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जायेगा।</p> <p><u>अधिमानी अर्हता</u>- उ०प्र० पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 यथासंशोधित के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर केन्द्रीयित सेवाओं में अधिशाली अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती की दशा में उस अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जायेगी, जिसने-</p> <p>(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या</p> <p>(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>

21/10/17

8

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
5	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	लिपिक सह टंकक/रोकड़िया सह लिपिक/लेखा लिपिक	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार सेवा में लिपिक सह टंकक/रोकड़िया सह लिपिक/लेखा लिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी आवश्यक है।</p> <p><u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो रोकड़ संभालने का अनुभव और लेखा रखने का ज्ञान और हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।</p>
6	कार्यालय चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सहायक चकबन्दी अधिकारी/सहायक आयुक्ताधिकारी	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश राजस्व चकबन्दी सेवा नियमावली, 1992 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-1995 एवं द्वितीय संशोधन-1997) के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक चकबन्दी अधिकारी/सहायक आयुक्ताधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।</p> <p><u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश राजस्व चकबन्दी सेवा नियमावली, 1992 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-1995 एवं द्वितीय संशोधन-1997) के भाग-4 नियम-9 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी-</p> <p>(एक) जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि हो, या</p> <p>(दो) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या</p> <p>(तीन) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।</p>
7	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर	सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी) (सामान्य/विशेष चयन)	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि अपेक्षित होगी।</p> <p><u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने-</p> <p>(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या</p> <p>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>
8	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ	केन्द्र प्रभारी	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा विनियमावली, 1981 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-18 के अनुसार सेवा में केन्द्र प्रभारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान अपेक्षित है।</p>

21/10/21

8

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
9	परिवार कल्याण महा निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ	जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- चिकित्सा अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन का कार्यकारी आदेश संख्या- 2859/5-10-2004-जी-137/2004, दिनांक- 10-09-2004 के अनुसार सेवा में जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० की इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान तथा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त किया हो।</p> <p><u>अधिमानी अर्हता</u>- चिकित्सा अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन का कार्यकारी आदेश संख्या- 2859/5-10-2004-जी-137/2004, दिनांक- 10-09-2004 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने-</p> <p>(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या</p> <p>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p> <p>(तीन) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त किया हो।</p>
10	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	मण्डी पर्यवेक्षक श्रेणी-2	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार सेवा में मण्डी पर्यवेक्षक श्रेणी-2 के पद पर सीधी भर्ती के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है।</p>
<p>नोट:- स्नातक समकक्ष अर्हता के संबंध में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेश संख्या- 03/2023/312/47-का-2-312/एलसी/2022, दिनांक- 19-07-2023 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न (संलग्नक-1) है।</p>			

7- आयु -

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
1	निदेशालय कोषागार, उत्तर प्रदेश	सहायक कोषागार लेखाकार	<p>उत्तर प्रदेश कोषागार लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में सहायक कोषागार लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:</p> <p>परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।</p>
2	सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश	लेखा परीक्षक	<p>उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां और पंचायत) लेखा-परीक्षा सेवा नियमावली, 2025 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में लेखा परीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाय जुलाई के प्रथम दिवस को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:</p> <p>परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।</p>

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
3	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	अमीन/नीलामकर्ता	सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि- 1-अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शासनादेशों में विहित व्यवस्था के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट सीमा में छूट अनुमन्य होगी। 2-मण्डी समिति के कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष, या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने परिषद/समिति में सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी।
4	नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश	अधिशासी अधिकारी	उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 यथासंशोधित के अनुसार सेवा में केन्द्रीयित सेवाओं में अधिशासी अधिकारी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष के, जिसमें भर्ती किया जाय, अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो: परन्तु यह कि- (1) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने किसी भी केन्द्रीयित सेवा अथवा पालिका अथवा राज्य सरकार में सेवा की हो, अधिकतम आयु सीमा से 05 वर्ष अधिक होगी। (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष अधिक होगी। (3) राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस नियम में विहित अधिकतम आयु सीमा को, किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में शिथिल कर सकती है, यदि वह उचित व्यवहार या लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे।
5	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	लिपिक सह टंकक/ रोकड़िया सह लिपिक/ लेखा लिपिक	सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि- 1- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शासनादेशों में विहित व्यवस्था के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। 2- मण्डी समिति के कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष, या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने परिषद/समिति में सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी।
6	कार्यालय चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सहायक चकबन्दी अधिकारी/ सहायक आयुक्ताधिकारी	सेवा में सहायक चकबन्दी अधिकारी/सहायक, आयुक्ताधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, उस वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाय, इक्कीस वर्ष की हो जानी चाहिये और चालीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

राज्य/कृषि

2

3

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
7	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर	सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी) (सामान्य/विशेष चयन)	सेवा में सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायं, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
8	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ	केन्द्र प्रभारी	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा विनियमावली, 1981 यथासंशोधित के भाग-4 नियम- 14 के अनुसार सेवा में केन्द्र प्रभारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की पहली जनवरी को, यदि रिक्तियाँ पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित या अधिसूचित की जायें, और पहली जुलाई को, यदि रिक्तियाँ पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित या अधिसूचित की जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय: परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों की स्थिति में जो निगम में पहले से कार्य कर रहे हों, उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी।
9	परिवार कल्याण महा निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ	जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी	चिकित्सा अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन का कार्यकारी आदेश संख्या- 2859/5-10-2004-जी137 /2004, दिनांक- 10-09-2004 के अनुसार सेवा में जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, किन्तु 40 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
10	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	मण्डी पर्यवेक्षक श्रेणी-2	सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि- 1-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शासनादेशों में विहित व्यवस्था के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। 2-मण्डी समिति के कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष, या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने परिषद/समिति में सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी।

8-चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या- 32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक- 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- 4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश

4 -अर्हता-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
1	राज्य सम्पत्ति विभाग	स्वागती	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा नियमावली, 2023 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में स्वागती के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है;</p> <p>(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि;</p> <p>(दो) हिन्दी और अंग्रेजी में पढ़ने, लिखने तथा वार्तालाप करने की पूर्ण योग्यता और इसके लिए उससे इण्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी और अंग्रेजी विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।</p> <p><u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा नियमावली, 2023 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी, जिसने-</p> <p>(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या</p> <p>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>
2	सचिवालय प्रशासन विभाग	सहायक भण्डार अधीक्षक	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश सचिवालय भण्डार अधीक्षक और सहायक भण्डार अधीक्षक सेवा नियमावली, 2016 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक भण्डार अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए।</p> <p><u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश सचिवालय भण्डार अधीक्षक और सहायक भण्डार अधीक्षक सेवा नियमावली, 2016 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने-</p> <p>(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या</p> <p>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या</p> <p>(तीन) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भौतिक प्रबन्धन (मैटेरियल मैनेजमेन्ट) में डिप्लोमा।</p>
3	उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद	स्वागत अधिकारी	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, स्वागत अधिकारी सेवा विनियमावली, 1999 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में स्वागत अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक अर्हता होनी चाहिये।</p> <p><u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, स्वागत अधिकारी सेवा विनियमावली, 1999 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-9 के अनुसार सेवा में स्वागत अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अधिमानी अर्हतायें होनी चाहिये:-</p> <p>पत्रकारिता/जनसम्पर्क/जनसंचार में डिग्री/डिप्लोमा। न्यूज आइटम्स, हैण्ड आउट्स, बुकलेट लिखने एवं तैयार करने की क्षमता। किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी संस्थान में जनसम्पर्क में क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।</p>
4	सर्वे कमिश्नर वक्फ, उत्तर प्रदेश	वक्फ निरीक्षक	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश वक्फ विभाग लिपिकवर्गीय सेवा नियमावली, 1993 के भाग-4 नियम-8(5) के अनुसार सेवा में वक्फ निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक होना आवश्यक है।</p> <p><u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश वक्फ विभाग लिपिकवर्गीय सेवा नियमावली, 1993 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को जिसने-</p> <p>(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या</p> <p>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।</p>
5	मद्यनिषेध विभाग (समाज कल्याण)	जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी (सामान्य चयन व विशेष चयन)	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश मद्य निषेध विभाग कर्मचारी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1999 के भाग-4 नियम-8(2) के अनुसार सेवा में जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी आवश्यक है।</p> <p><u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश मद्य निषेध विभाग कर्मचारी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1999 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने-</p> <p>(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या</p> <p>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>

सर्वे

कु

२

७

क्र सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
6	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	अवर वर्ग सहायक (सामान्य चयन व विशेष चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u> - उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1995 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में अवर वर्ग सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी आवश्यक है। <u>अधिमानी अर्हता</u> - उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1995 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
7	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	प्रवर वर्ग सहायक	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u> - उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1995 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी आवश्यक है। <u>अधिमानी अर्हता</u> - उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1995 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
8	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य चयन व विशेष चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u> - उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अधीनस्थ कार्यालय सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। <u>अधिमानी अर्हता</u> - उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अधीनस्थ कार्यालय सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के भाग-4 नियम-9 एवं विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-3610/7/2025, दिनांक- 10-07-2025 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या (तीन) लोक प्रशासन या प्रबन्ध में स्नातक डिप्लोमा, या (चार) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होने के साथ-साथ एम0एस0आफिस और या अन्य किसी प्रचलित इन्वार्थमेन्ट जिसमें वर्ड प्रोसेसर/स्प्रेड शीट/डेटा बेसेस का प्रयोग होता हो में कार्य करने के योग्य होना चाहिए, जो आवश्यक कम्प्यूटर दक्षता के संबंध में National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) (पूर्ववर्ती DOEACC) "O" लेवल सर्टिफिकेट समतुल्य होगा।
9	खाद्य एवं रसद विभाग (विपणन शाखा)	विपणन निरीक्षक (सामान्य चयन व विशेष चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u> - उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 1993) के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में विपणन निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। <u>अधिमानी अर्हता</u> - उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 1993) के भाग-4 नियम-9 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।
10	खाद्य एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा)	पूर्ति निरीक्षक (सामान्य चयन व विशेष चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u> - उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (संपूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-1993) के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में पूर्ति निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता-प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिये और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। <u>अधिमानी अर्हता</u> - उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (संपूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-1993) के भाग-4 नियम-9 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

अधीन

6

2

9

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
11	मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश	प्रबंधक, जेल डिपो	<p>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय, आशुलिपिक और सह:सम्बन्धित सेवा नियमावली, 2007 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में प्रबंधक, जेल डिपो के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है:-</p> <p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।</p> <p>(2) किसी फर्म या किसी सरकारी विभाग के विक्रय कक्ष में स्वतंत्र प्रभार के रूप में विक्रय कार्य का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p>(3) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान।</p> <p>अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय, आशुलिपिक और सह:सम्बन्धित सेवा नियमावली, 2007 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-</p> <p>(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या</p> <p>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>

5- आयु -

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
1	राज्य सम्पत्ति विभाग	स्वागती	<p>उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा नियमावली, 2023 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में स्वागती के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:</p> <p>परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में, ऊपरी आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।</p>
2	सचिवालय प्रशासन विभाग	सहायक भण्डार अधीक्षक	<p>उत्तर प्रदेश सचिवालय भण्डार अधीक्षक और सहायक भण्डार अधीक्षक सेवा नियमावली, 2016 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में सहायक भण्डार अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:</p> <p>परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।</p>
3	उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद	स्वागत अधिकारी	<p>उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, स्वागत अधिकारी सेवा विनियमावली, 1999 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में स्वागत अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु भर्ती वर्ष के 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी:</p> <p>परन्तु अनुसूचित जातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के, जो समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।</p>
4	सर्वे कमिश्नर वक्फ, उत्तर प्रदेश	वक्फ निरीक्षक	<p>सेवा में वक्फ निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:</p> <p>परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।</p>

अर्हता

कु

३

९

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता. (यदि है)
5	मद्यनिषेध विभाग (समाज कल्याण)	जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी (सामान्य चयन व विशेष चयन)	सेवा में जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
6	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	अवर वर्ग सहायक (सामान्य चयन व विशेष चयन)	सेवा में अवर वर्ग सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिये आयु उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
7	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	प्रवर वर्ग सहायक	सेवा में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिये आयु उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
8	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य चयन व विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अधीनस्थ कार्यालय सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।
9	खाद्य एवं रसद विभाग (विपणन शाखा)	विपणन निरीक्षक (सामान्य चयन व विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-1993) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में विपणन निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायं 21 वर्ष की होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
10	खाद्य एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा)	पूर्ति निरीक्षक (सामान्य चयन व विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (संपूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-1993) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में पूर्ति निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायं और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायं, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
11	मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश	प्रबंधक, जेल डिपो	सेवा में प्रबंधक, जेल डिपो के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

शुभ

KS

8

9